कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल वन प्रभाग,नैनीताल।

E-mail:dfonainital_uta@yahoo.com Telefax.05942-236790

पत्रांकः– 2956 /13-2(1) दिनांक 15/ 2 /2019

प्राप्ति सं० 746
फाईल सं० 18 mg
दिनांक 26-2-19

सेवा में,

अधिशासी अभियंता,
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
नैनीताल ।

विषय :– **जनपद–नैनीताल में अनुसूचित जाति उप योजना के अर्न्तगत जिनोली–तड़ी–सकदीना मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.6275 है० वन भूमि का लो०नि०वि० को प्रत्यावर्तन।**

संदर्भ :– भारत सरकार, पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून की पत्र सं० 8बी०/यू०पी०सी०/06/92/2018/एफ०सी०/1700 दिनांक 16.11.2018. एंव अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोड़ल अधिकारी, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, उत्तराखण्ड़ देहरादून की पत्र सं० 1484/FP/UK/ROAD/8286/2014 देहरादून, दिनांक 05.12.2018 इस कार्यालय का पत्रॉक 2232/13–जिनौली दिनॉक 28–12–2018 आपका पत्रॉक 156/18एमजी दिनॉक 19–1–2019

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्रों का अवलोकन करें । शर्त न0 2 में एन0पी0वी0 की धनराशि का संशोधित कर विषयगत प्रकरण में भारत सरकार पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिर्वतन मंत्रालय देहरादून के सैद्वान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित निम्न लिखित शर्तो का अनुपालन किया जाना हैं ।

1– शर्त न0 1 के अनुपालन में क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण एंव 10 वर्षो तक रखरखाव की धनराशि रू0 9,07,054.00 (रू0 नौं लाख सात हजारः चौवन) मात्र की धनराशि वन विभाग के पक्ष में जमा की जानी हैं। जो प्रमुख वन संरक्षक उत्तराखण्ड देहरादून की पत्र संख्या 972/3–5–2 दिनॉक 21–11–2017 द्वारा निर्धारित दर पर आगणन किया गया हैं । क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित ग्राम हरिनगर हरतोला सिविल सोयम भूमि वन विभाग के नाम नामान्तरण एंव नामान्तरण किया जाना हैं

2– शर्त न0 2 के अनुपालन में एन0पी0वी0 की धनराशि रूपया 10,69,268.00(रू0 दस लाख उडहतर हजार दो सौ अडसठ)मात्र वन विभाग के पक्ष में जमा की जानी हैं ।

3– अपर प्रमुख वन संरक्षक,एंव नोडल अधिकारी भूमि सर्वेक्षण निर्देशालय देहरादून ने उपरोक्त संदर्भित पत्र के बिन्दु न0 1 में उल्लेख किया गया हैं कि भारत सरकार, पर्यावरण वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा ऑन लाईन अवगत कराया गया हैं कि वन भूमि हस्तान्तरण प्रकरणों में प्रदत्त सैद्वान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित शर्तो की अनुपालन आख्या/चालान ऑन लाईन अपलोट किया जायेगा । उक्त सम्बन्ध में अवगत कराना हैं कि सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी प्रयोक्ता एजेन्सी को सैद्वाान्तिक स्वीकृति में उल्लेखित शर्तो के अनुसार डिमाण्ड नोट प्रेषित करेंगें, जो प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा ऑन लाईन अपलोट करेंगें, जिसका नोडल अधिकारी कार्यालय द्वारा ऑन लाईन सत्यापन किया जायेगा । तत्पश्चात् प्रयोक्ता एजेन्सी ऑन लाईन चालान जनरेट कर देय धनराशि के भुगतान की कार्यवाही करेंगें ।

4– शर्त न0 3 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा इस आशय का बजनबद्वता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना हैं कि सक्षम स्तर से यदि एन0पी0वी0की दरों में बढोत्तरी होती हैं तो बढी हुई दर से अतिरिक्त धनराशि जमा करायी जायेगी ।

5– शर्त न0 4 में निर्देश दिये गये हैं कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार पत्र सख्या 5–3/2007–एफ.सी दिनॉक 5–2–2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्व वर्तमान मूल्य(एन0पी0वी0)तथा सभी निधियॉ प्रतिपूर्ति वृक्षारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण CAMPA के तदर्थ निकाय खाता में जमा कराया जाय । धनराशि का **हस्तान्तरण** Online portal के माध्यम द्वारा ही किया जाना आवश्यक हैं ।

6– शर्त न0 5 के अनुपालन में सडक निर्माण के पश्चात जहॉ जहॉ सम्भव हो सडक के दोनो किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख रेख में strip plantation की जायेगी । इस आशय की बचन बद्वता प्रेषित की जानी हैं ।

7– शर्त न0 6 State Government will submit original hard copy of FRA certificate with date and VLC proceeding of village Khalar & Sakdina.

8–शर्त न0 7 State Govt. will submit Plantation scheme in degraded forest land with KML file & digital map lieu of 3.00 ha MDF in DSS as per guidelines dated 08-11-2017

10–शर्त न0 9 The State Govt. will submit plantation scheme for 2000 trees in addition to 7000 trees submitted and uploaded online as total MDF is 9.00 ha now of proposed CA area.

11– उपरोक्त के अतिरिक्त अपर प्रमुख वन संरक्षक,एंव नोडल अधिकारी भूमि सर्वेक्षण निर्देशालय देहरादून ने उपरोक्त संदर्भित पत्र के बिन्दु न0 2 में उल्लेख किया गया हैं कि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में सैद्वान्तिक स्वीकृति, में अधिरोपित समस्त शर्तो का बिन्दुवार अनुपालन भारत सरकार के forestsclcarance.nic.in **पर** Online अपने user account **में जाकर** stagell clearance में पहले mutatation **की** detail **भरकर एंव समस्त शर्तो की अनुपालन आख्या** Online नोडल अधिकारी देहरादून के कार्यालय को प्रेषित की जानी हैं तथा हार्ड काफी इस कार्यालय को भी प्रेषित करें। तत्पश्चात् अपर प्रमुख वन संरक्षक,एंव नोडल अधिकारी भूमि सर्वेक्षण निर्देशालय देहरादून द्वारा प्रकरण पर अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी ।

अतः भारत सरकार द्वारा प्रदत्त सैद्वान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित उक्त शर्तो की बिन्दु वार अनुपालन प्रेषित करने का कष्ट करें ताकि प्रकरण में अग्रेत्तर कार्यवाही सम्भव हो सके ।

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी,
नैनीताल वन प्रभाग,नैनीताल ।

पत्रांक /उक्तदिनांकित ।

प्रतिलिपि :– अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून को उनके उपरोक्त पत्र के कम में सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि – वन संरक्षक दक्षिणी कुमाऊ वृत नैनीताल को सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि :– जिलाधिकारी नैनीताल को उपरोक्त संदर्भित पत्र के कम में सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रभागीय वनाधिकारी,
नैनीताल वन प्रभाग,नैनीताल ।

R-NO 746 | 18 Mg दि 28-2-19

26|02|19